पत्रांक– 314 /जि0नि0
समाहरणालय पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
(जिला निर्वाचन शाखा)

प्रेषक,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
बिहार, पटना।

मोतिहारी दिनांक– 06 वीं अगस्त 2015

विषय :– बिहार विधान सभा आम चुनाव 2015 के अवसर पर मतदान सामग्री एवं अन्य सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा आमंत्रण की सूचना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में बिहार विधान सभा आम चुनाव 2015 के अवसर पर मतदान सामग्री एवं अन्य सामग्रियों के दर निर्धारण हेतु निविदा आमंत्रण की सूचना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इसे राज्य स्तरीय दो समाचार पत्रों के अगले अंक में प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक– निविदा आमंत्रण सूचना 05 प्रति
एवं एक सॉफ्ट प्रति

विश्वासभाजन
06/08/15

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

Vidhan Sabha_Tender

बिहार सरकार
समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।
(जिला निर्वाचन कार्यालय)
निविदा आमंत्रण संबंधी सूचना

आगामी बिहार विधान सभा आम चुनाव 2015 के अवसर पर निर्वाचन कार्य में उपयोग में आने वाली सामग्रियों यथा लेखन सामग्री, मतदान सामग्री, प्रपत्र, मुद्रण, कम्प्यूटर कार्य से संबंधित सामग्री, टेन्ट–उपस्कर सामग्री/अस्थायी विद्युतीकरण सामग्री/ध्वनि विस्तारक यंत्र/छायाप्रति (एकल एवं दोनों पृष्ठ) वीडियोग्राफी, भाड़े पर कम्प्यूटर/टी0वी0, डिश एवं डी0वी0डी0 सहित/फैक्स मशीन, स्कैनर, GPRS मशीन इत्यादि के न्यूनतम दर निर्धारण हेतु द्वि–लिफाफा पद्धति के आधार पर दिनांक–26.08.2015 को 3.00 बजे अपराह्न तक इच्छुक फर्मो से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक फर्म तकनीकी एवं वित्तीय निविदा का अलग–अलग लिफाफों में तैयार कर बड़े अक्षरों में अंकित कर जिला निर्वाचन कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी में दे सकते हैं। प्राप्त निविदाओं को उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में खोला जायेगा, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं। निविदा से संबंधित निम्न सामग्रियों की विस्तृत सूची निविदा प्रकाशन के पश्चात् जिला निर्वाचन कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से सभी कार्यो हेतु अलग–अलग मो0 100.00 (एक सौ) रूपये की नाजिर रसीद कटाकर किसी भी कार्य दिवस को निर्धारित कार्यावधि में निविदा आमंत्रण की तिथि के एक दिन पूर्व तक प्राप्त की जा सकती है।

सामग्री समूह

(1) मतदान सामग्री, लेखन सामग्री, मुद्रण, कम्प्यूटर सामग्री एवं फोटो स्टेट।
(2) भाड़े पर लिये जाने वाले टेन्ट उपस्कर संबंधी सामग्री।
(3) भाड़े पर लिये जाने वाली अस्थायी विधुत व्यवस्था संबंधी सामग्री।
(4) भाड़े पर लिये जाने वाली ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं संबंधित सामग्री ।
(5) भाड़े पर लिये जाने वाली विडियों कैमरा, वीडियोग्राफर, डिजिटल कैमरा।
(6) भाड़े पर लिये जाने वाली` सी0सी0टी0वी0 कैमरा, कम्प्यूटर सिस्टम, टी0वी0/एल0सी0डी0 आदि।
(7) भाड़े पर लिये जाने वाली` GPRS मशीन (ट्रैकिंग सिस्टम सहित)

(क) तकनीकी निविदा की शर्त्ते :–

(I) प्रत्येक निविदादाता को क्रमांक 1 से 3 तक की सामग्रियों के लिए अलग–अलग प्रतिभूति की राशि 50,000.00 (पच्चास हजार) रूपये, क्रमांक–4 से 7 तक की सामग्रियों के लिए अलग–अलग प्रतिभूति की राशि 25000.00 (पच्चीस हजार) रूपये निविदा प्रकाशन तिथि के बाद किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत बैंक ड्राफ्ट/बैकर्स चेक जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी–सह–जिलाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पदनाम से भुगतेय हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(II) निविदादाता को वाणिज्यकर निबंधन प्रमाण–पत्र, वाणिज्यकर अद्यतन चुकता प्रमाण–पत्र, आयकर पैन कार्ड, आयकर रिटर्न वर्ष 2013–14, क्रमांक 2 से 4 के लिए सेवाकर के अन्तर्गत निबंधन की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तथा प्रतिष्ठान के काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ पत्र की मूल प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिसमें इस बात का भी उल्लेख हो कि निविदा की सभी शर्ते मान्य है।

(III) क्रमांक 1 के लिए Shops & Establishment Act. के तहत निबंधित होने का प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(IV) निविदा निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से जिला निर्वाचन कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी में देय होगी। किसी भी कारण से विलम्ब से प्राप्त निविदा विचारणीय नहीं होगी।

(V) आवंटित कार्य की Sub Contracting किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगी, यदि ऐसा पाया जाता है तो तुरंत कार्यादेश/आपूर्ति आदेश रद्द कर दिया जायेगा एवं जमानत की राशि जब्त करते हुए कानूनी कार्रवाई की जायेगी। इस आशय की Undertaking संलग्न करनी होगी।

(VI) प्रपत्र मुद्रण एवं फोटो स्टेट के लिए इच्छुक फर्म के लिए फोटो स्टेट मशीन एवं ऑफसेट मशीन का स्वामित्व प्रमाण–पत्र संलग्न करना होगा।

(VII) जिस कार्य के लिए इच्छुक निविदादाता अपनी निविदा समर्पित करेंगे उन्हें पूर्व के निर्वाचन में आपूर्ति किये गये उक्त कार्य का जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(VIII) आपूर्तिकर्त्ता को जिस सामग्री को आपूर्ति करने हेतु वे इच्छुक हैं तत्संबंधी नमूना मोहरबंद थैले में निविदा के साथ अनिवार्य रूप से देना होगा, ताकि सामग्रियों की गुणवत्ता की जांच की जा सके।

(IX) छायाप्रति / वीडियोग्राफी / डिजिटल फोटोग्राफी / कम्प्यूटर / टी0वी0 / फैक्स मशीन / स्कैनर के लिए निविदादाता को स्थानीय होना अनिवार्य है। साथ ही एक कार्य हेतु समान दर होने पर स्थानीय निविदादाताओं प्राथमिकता दी जायेगी।

(ख) वित्तीय निविदा की शर्त्तें :–

(I) क्रमांक I से IX तक की सभी तकनीकी शर्तो को पूरा करने वाले निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

(II) कार्यादेश के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपने व्यय से जिला मुख्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी में करनी होगी।

(III) न्यूनतम दर पर सामग्रियों की आपूर्ति हेतु एक से अधिक फर्मों को कार्यादेश निर्गत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

(IV) निविदादाता को सभी मानक एवं अच्छी गुणवत्ता की सामग्रियों की दरें सभी प्रकार के कर (वैट, आयकर एवं सेवाकर) सहित जिला निर्वाचन कार्यलय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से प्राप्त की गयी सूची में ही लिखना होगा।

(ग) सामान्य शर्त्तें :–

(I) निविदा बिना किसी कारण बताये स्थगित करने / रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित रहेगा।

(II) किसी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।

(III) स्वीकृत न्यूनतम दर पर संबंधित निविदादाता / आपूर्तिकर्त्ता के साथ एकरारनामा करने के उपरान्त कार्यादेश / आपूर्ति आदेश निर्गत किया जायेगा। कार्यादेश / आपूर्ति आदेश प्राप्त होने पर सामग्री के नमूने के अनुरूप कार्यादेश में निर्धारित समय–सीमा के अन्दर संबंधित प्रतिष्ठान द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी में सामग्री आपूर्ति करना अनिवार्य होगा। इसके लिए आपूर्तिकर्ता को किसी प्रकार का अग्रिम / परिवहन / अतिरिक्त कोई भी राशि देय नहीं होगा।

(IV) निविदादाता द्वारा अपनी ओर से दी गयी कोई शर्त मान्य नहीं होगी।

(V) समय सीमा के अंदर सामग्री आपूर्ति नहीं करने पर संबंधित फर्म को काली सूची में दर्ज करते हुए निर्वाचन कार्य को आपराधिक रूप से बाधित करने हेतु प्राथमिकी दर्ज की जायेगी एवं जमानत की राशि जप्त कर ली जायेगी।

(VI) निविदा डालने वाली सभी फर्मो की क्षमता का भौतिक सत्यापन करने का अधिकार जिला क्रय समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

विस्तृत जानकारी एवं सूची पूर्वी चम्पारण जिले की वेबसाईट– http://eastchamparan.bih.nic.in पर पर उपलब्ध है, जिसे देखा जा सकता है।

06/08/15

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।